एसईजेड नीति

2005 में संसद द्वारा पारित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अनुसार देश के विभिन्न भागों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जो औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए गए हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि में छूट प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न छूटें एवं रियायतें प्रदान करने की नीति अपनाई जा रही है। इन परिस्थितियों में केरल में भी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों के संबंध में नीति तैयार करना आवश्यक हो गया है।

राज्य में अब तक 11 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनके संबंध में केंद्र सरकार की आवश्यक अधिसूचना 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। इस सरकार द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद 6 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए आवेदन की सिफारिश की गई तथा अनुमोदन के लिए भारत सरकार को अग्रेषित किए गए। पिछले से एक (स्मार्ट सिटी) के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है तथा शेष के लिए मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों जिन्हें मंजूरी प्राप्त हो गई तथा जिनको राज्य में मंजूरी प्राप्त की जाएगी, द्वारा अपनाई जाने वाली नीति को निम्नलिखित स्पष्ट करता है :

1. **केरल में ऐसे एसईजेड व्यवहार्य नहीं हैं जिनके लिए विशाल भूभाग की आवश्यकता होगी क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में यहां जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। अत: केवल ऐसे एसईजेड को मंजूरी प्रदान की जा सकती है जो राज्य की विशेष स्थिति को ध्यान में रख रहे हैं।**
2. **एसईजेड परियोजनाओं के लिए धान के खेतों के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।**
3. **औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए सरकारी एजेंसियों को अनुमति प्रदान की जा रही है। यदि एसईजेड स्टेटस की आवश्यकता है, तो ये पार्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु एसईजेड की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण करके निजी उद्यमियों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।**
4. **एसईजेड के उद्यमियों को विद्युत शुल्क से छूट प्राप्त नहीं होगी।**
5. **केंद्र सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार एसईजेड का दर्जा प्राप्त करने वाली भूमि के 50 प्रतिशत का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा तथा अन्य 50 प्रतिशत का उपयोग संबद्ध गतिविधियों (निवास, होटल, वाणिज्य, मनोरंजन, सड़क आदि) के लिए किया जाएगा। परंतु केरल में ऐसा प्रावधान किया जाता है कि एसईजेड का दर्जा प्राप्त करने वाली भूमि के 70 प्रतिशत का उपयोग औद्योगिक**

प्रयोजन के लिए करना होगा तथा शेष 30 प्रतिशत भूमि का उपयोग संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि में निर्मित किए जाने वाले आवासीय अपार्टमेंट का प्रयोग केवल एसईजेड के कर्मचारियों के निवास स्थान के रूप में किया जाएगा तथा बाहरियों को बेचा नहीं जाएगा। ये शर्तें सभी एसईजेड पर लागू होंगी जिन्हें अब तक मंजूरी मिल गई है, जिन्होंने कोई विकास कार्य शुरू नहीं किया है तथा उन पर भी लागू होगी जो भविष्य में मंजूरी प्राप्त करेंगे।

6. **एसईजेड में केवल औद्योगिक उपक्रमों को तिथि जिससे यह अपना प्रचालन आरंभ करता है, से 10 साल की अवधि के लिए केजीएफटी अधिनियम के तहत वैट सहित संग्रहीत किए जाने वाले कर से छूट प्राप्त है।**
7. **राज्य में एसईजेड किसी भी कानून जैसे कि श्रम कानून, मजदूर संघ कानून, कल्याण निधि कानून, भविष्य निधि कानून, कारखाना अधिनियम, उपदान अधिनियम आदि जो मजदूरों एवं कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित हैं, के दायरे से बाहर नहीं होंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केंद्रीय अधिनियम 16) के अध्याय 5(ख) से एसईजेड को छूट प्रदान करने वाला केंद्रीय अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होगा।**
8. **संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का केंद्रीय अधिनियम 37) में निहित प्रावधान राज्य में सभी एसईजेड पर लागू होंगे।**
9. **केरल पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 13) राज्य में सभी एसईजेड पर लागू होगा। उक्त अधिनियम की धारा 200 के तहत किसी को भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी।**
10. **केरल औद्योगिक एकल खिड़की क्लीयरेंस बोर्ड तथा औद्योगिक टाउनशिप एरिया विकास अधिनियम, 1999 (2000 का 5) सभी एसईजेड पर लागू होगा।**
11. **ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाएगी जिन पर अतिरिक्त भूमि का धारक होने के मामले हैं।**
12. **परियोजना का निर्माण आरंभ करने से पूर्व उद्यमियों द्वारा इस आशय के करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे कि वे उपर्युक्त शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं।**

इस नीति के आधार पर मौजूदा अधिसूचनाओं में परिवर्तन किए जाएंगे तथा कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी।